न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 137 / 2014

मदनलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर ।

–प्रार्थी–

बनाम

परमाराम दत्तक पुत्र गीदाराम

गोपालराम पुत्र मोटाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नानी तहसील व जिला सीकर

उप पंजीयक सीकर

तहसीलदार, सीकर

कमला पुत्री मोटाराम जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थी–- श्री गणपत लाल

वकील अप्रार्थीगण – श्री भगवान सिंह धायल

निर्णय

दिनांक : 22.08.22

वकील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रकरण में आवेदन आदेश 6 नियम 17 सीपीस का आवेदन पेश कर उसके निर्णय के पश्चात संशोधित आवेदन पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर की तन में प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 643, 644, 645, 646, 1258 / 647 किता 5 कुल रकबा 1.3800 है0 अवस्थित है। जिसमें 1 / 2 हिस्सा प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का 1 / 2 हिस्सा है उसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जो एक ही खानदान के हैं। उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में गीधा, गोविन्दा, जीवण पुत्र नानगा के नाम से है और तीनों भाई 1/371/3 हिस्से के अनुसार काश्त करते थे। गीधाराम के कोई पुत्र संतान न होने के कारण उसने अपने छोटे भाई जीवण के लड़के परमला उर्फ परमाराम को गोद ले लिया। उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ही उसकी चल अचल सम्पतियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 बड़ा तेज व चालाक प्रवृति का व्यक्ति है जिसने अपने जन्मजात पिता जीवण की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की 1/3 भूमि भी अपने नाम करवा ली। इस प्रकार 2/3 हिस्से की भूमि अपने नाम करवा ली। कानूनन एक व्यक्ति या तो अपने जन्मजात पिता की या अपने दत्तक पिता की एक जगह की सम्पति प्राप्त कर सकता है दोनों जगह की नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 को 1/3 हिस्से की भूमि के अलावा भूमि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ना ही उसका 1/3 हिस्से की भूमि के अलावा कोई कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 का अपने जन्मजात पिता जीवण की भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 गीदा के गोद चला गया था इसलिये जीवण की मृत्यु के बाद उसके 1/3 हिस्से की भूमि भूमि उसके निकटतम वारिसान गीदा व गोविन्दा के वारिसान के नाम से होना चाहिये था। जीवण के एक पुत्री लच्छी भी पैदा हुई। जीवण के एक ही पुत्र होने के बावजूद भी उसने उसे गीदा को गोद दे दिया। कानूनन एक व्यक्ति गोद नहीं जा सकता है। इसिलये गीदा के नाम दर्ज भूमियों की खातेदारी मे 1/2 हिस्सा प्रार्थी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम दर्ज किया जावे। रेवन्यू रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 को बेदखल करना चाहते हैं तथा भूमि को अन्यत्र विक्रय करना चाहते हैं। दिनांक 30.1.2012 को प्रार्थी अपने खेत में काम कर रहा था तो अप्रार्थी संख्या 1 व उनके गिरोह के व्यक्ति आये और वादगस्त भूमियों को देखकर विक्रय का सौदा करने लगे। प्रार्थी ने मना किया तो नहीं माने और लड़ाई झगड़ा करने लगे। ऐसा करने में वे अगर सफल हो गये तो प्रार्थी को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रबल है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 3 व 4 की तामिल विधिवत होने के बावजूद उपस्थित नहीं रहे इसिलये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब आवेदन मय काउण्टर आवेदन प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 का काउण्टर आवेदन दिनांक 20.2.2020 को खारिज कर दिया गया । अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब मय काउण्टर आवेदन के पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर

22/8/2

उपखण्ड अधिकारी- सीक

जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किये कि विवादित भूमियों के 2/3 हिस्से पर कब्जा काश्त जवाबदाता का चला आ रहा है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। प्रतिवादी संख्या 1 तेज नहीं बलकि देहाती भोला भाल काश्तकार व्यक्ति है। जिसके नाम से बाल्यकाल से खातेदारी गीदाराम की मृत्यु के उपरांत उनकी वारिस उतराधिकारी होने के नाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। इसी प्रकार जीवणराम की मृत्यु होने पर उसके वैध उतराधिकारी होने के कारण बाद जांच राजस्व अधिकारियों ने नामा0 की कार्यवाही की है। दोनों जगह प्राप्त नहीं कर सकता ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जवाबदाता का 2/3 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें 1/3 जीवण के हिस्से की भूमि में उसकी पुत्री लच्छी व जवाबदाता का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी है। जीवणराम की मृत्यु के बाद उसका विरासत का नामा उसकी पत्नि मनड़ी के नाम से भरा गया तथाउसकी मृत्यु के बाद उसका निकटतम वारिस उसका जायंदा पुत्र परमाराम तथा पुत्री लच्छी है जिसके कारण लच्छी की सहमति के बाद नामा0 जवाबदाता के नाम से भरा गया जिसके कारण गीदा व गोविन्दा के वारिसान का लच्छी पुत्री जीवण की संपति से कोई सम्बंध नहीं है। गीदा के प्रतिवादी सं0 1 गोद का पुत्र होने के कारण वर्तमान में वारिस होने के कारण गीदा की संपति लावारिस की संज्ञा में न आने के कारण वादी गीदा की सम्पदा में किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है। जवाबदाता अपने 2/3 हिस्से पर बिना किसी व्यावधान के काबिज काश्त है इसलिये प्रार्थी को बेदखल करने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदन झूंठे एवं मनघड़ंत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। अतः मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ने भी जवाब आवेदन मय काउण्टर आवेदन पेश किया । अपने जवाब एंव काउण्टर आवेदन में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। इसलिये यहां विस्तृत उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के तथ्य एवं सहायताऐं समान है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के काउण्टर आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें भी अपने जवाब के तथ्यों को ही दोहराया गया है।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। वकील प्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में आरबीजे 2009 पेज 78 एवं आरआरसी 1998 पेज 394 की नजीर पेश की तथा वकील अप्रार्थी ने आरएलडब्लू 2009(1) आरजे पेज 483 की नजीर पेश की। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं--

22/8/12

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 643 से 646 व 1258/647 किता 5 कुल रकबा 1.38 है0 की खातेदार परमला पि0 मु0गीदा हि0 2/3, गोपालराम, गणेशराम, मदनलाल, भीका सिंह पिता0 मोटाराम हि0 4/18, रूकमणी देवी बेवा मोटाराम हि0 1/18, अर्जुनलाल, रामलाल पिता शिवभगवान, मेघी देवी बेवा शिवभगवान हि0 1/18 के नाम दर्ज है। जरिये नामा0 संख्या 1717 दिनांक 3.1.12 से परमला का नाम परमाराम दत्तक पुत्र गीदाराम हि0 2/3 दुरूस्त किया गया है। अन्य प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमियां पैतृक है। जो पूर्व में गीधा, गोविन्दा व जीवण पुत्र नानगा कोम जाट सा. देह ब.हि.बराबर दर्ज रही है। आवेदन एवं जवाब आवेदन के तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 जीवण का जायन्दा पुत्र था जो गीधा के गोद चला गया था। इसकी मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की भूमि का विरासतन नामा0 उसके पक्ष में दर्ज हो गया । जीवण जो कि परमाराम का जायन्दा पिता था के एक पुत्र परमाराम व एक पुत्री लच्छी थी। जीवण की मृत्यु के बाद उसके विरासत का नामा0 भी लच्छी के नाम से नहीं होकर उसके जायन्दा पुत्र परमाराम के नाम से ही दर्ज किया गया है। लच्छी देवी द्वारा भी एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके द्वारा जीवण के वैध वारिसान होना बताया है तथा उसकी सहमति से परमाराम के नाम नामा0 दर्ज होना बताया है। प्रार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जीवणराम की भूमि में से स्वयं को व शेष प्रतिवादीगण को वारिस मानते हुऐ उद्घोषणा का दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो बाद में संशोधित आवेदन पेश कर गीदा की भूमि में से हिस्सा चाहा गया है। प्रस्तुत आवेदन में दो तथ्य मुख्य प्रकार से निकल कर आये है कि क्या एक ही पुत्र होने पर वह गोद नहीं जा सकता है और दुसरा क्या गोद पुत्र दोनों जगह संम्पति प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों ही तथ्यों का अंतिम निस्तारण मूल वाद में ही किया जाना संभव है। जब तक इन तथ्यो का अंतिम निस्तारण साक्ष्य सबूत व कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं हो जाता है विवादित भूमियों को यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय किया जाता है तो वाद में वाद बाहुलता बढेगी क्योंकि परमाराम विवादित भूमियों में 2/3 हिस्से अर्थात 1/3 हिस्सा गीदा का एवं 1/3 हिस्सा जीवण का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इस लिये विक्रय की हद तक प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदनकर्ता संख्या 2 का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

2. **सुविधा का संतुलन** – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष बनता है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तो उसे कृषि कार्यो के लिये भी पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के पक्ष में बनता है।

22/8/22

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

3. **अपूर्णिय क्षति** – यह सिद्वान्त जब तक मूल वाद में मुल तथ्यों का निस्तारण नहीं हो जाता है जब तक किसी भी पक्ष में प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

4. **निष्कर्ष**– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं काउण्टर आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 का आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है िकवह ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 643 से 646, 1258/647 किता 5 रकबा 1.38 है0 को तादौराने वाद विक्रय करने से पाबन्द रहें। कृषि सुधार के कार्यो, कृषि ऋण, रहन आदि पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी ।

निर्णय आज दिनांक 22.8.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर